प्रेस नोट ***04/04/2026***

थाना कोपागंज जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर रु50,000 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे लूट/चोरी/छिनैती /वांछित अपराधियो के विरूद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में, एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी के द्वारा थाना कोपागंज पर दिनांक 13.01.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0 20/2026 धारा 310(2)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित/50,000/-रु0 पुरस्कार घोषित अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र राणा सिंह निवासी ग्राम अन्नुपार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, को इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व मुखबीर की सूचना पर दिनांक 03.04.2026 को थाना क्षेत्र हजरतगंज, लखनऊ स्थित चिडियाघर के पास से गिरफ्तार कर थाना कोपागंज के हवालात मर्दाना में लाकर दाखिल किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र राणा सिंह निवासी ग्राम अन्नुपार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम सिंह पुत्र राणा सिंह निवासी ग्राम अन्नुपार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान-

थाना क्षेत्र हजरतगंज, लखनऊ स्थित चिडियाघर गेट नंबर 1 के सामने।
दिनांक 03.04.2026 समय करीब 15.15 बजे ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 20/26 धारा 309(4), 309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 160/2022 धारा 323,504,506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1.उ0नि0 शाहजादा खां एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी।

2.उ0नि0 विनय मौर्य एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी।

3.हे0का0 अरविन्द सिंह एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी।

4. हे0का0 रविशंकर सिंह एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी।

5. कमाण्डो हे0का0प्रो0 धीरेन्द्र चौबे एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी।

6.का0 चा0 राजकुमार राय एसटीएफ फिल्ड यूनिट वाराणसी।

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल व एक जिंदा कारतूस बरामद–
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.04.2026 को थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर सखिनी कुटी बहद ग्राम अमिरहां से अभियुक्त दुर्गेश चौहान पुत्र विनोद चौहान उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम रकौली थाना सरांयलखन्सी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को समय 01.05 am पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से नाजायाज एक अदद पिस्टल व एक अदद जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-39/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध दुर्गेश चौहान पुत्र विनोद चौहान उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम रकौली थाना सरांयलखन्सी जनपद मऊ पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-
दुर्गेश चौहान पुत्र विनोद चौहान उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम रकौली थाना सरांय लखन्सी जनपद मऊ

बरामदगी–
एक अदद पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद होना।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीमः-
1.–उ0नि0 गिरधर सिंह थाना चिरैयाकोट , मऊ
2.–का0 प्रदीप कुमार थाना चिरैयाकोट , मऊ
3.–का0 आदित्य गुप्ता थाना चिरैयाकोट , मऊ

गोवध मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–
पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वांछित अपराधियो के विरूद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र नाथ राय, के कुशल निर्देशन में, उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 अवधेश कुमार, हे0का0 कमलेश सिंह व का0 बबलू पासवान थाना कोपागंज जनपद मऊ, द्वारा थाना कोपागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2026 धारा 3/5-A/8 गो हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 1960 से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त उमानाथ पुत्र सुभाष निवासी नागपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया, उम्र 27 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर एक अदद नजायज चापड़ के साथ भदसामानोपुर तिराहा के पास थाना कोपागंज जनपद मऊ से दिनांक 04.04.2026 को समय करीब 03.32 बजे हिरासत पुलिस में लिया

गया तथा फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थानाहाजा पर मु0अ0सं0 91/2026 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म एक्ट पंजीकृत व आवश्यक कार्यवाही कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उमानाथ पुत्र सुभाष निवासी नागपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया को मय बरामदशुदा माल के नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अभियुक्त उमानाथ पुत्र सुभाष निवासी नागपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया, उम्र 27 वर्ष।

***गिरफ्तारी का स्थान ***

भदसामानोपुर तिराहा के पास थाना कोपागंज जनपद।
दिनांक 04.04.2026 समय करीब 03.32 बजे ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 46/2026 धारा 3/5-A/8 गो हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 1960 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 91/2026 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदशुदा माल का विवरण

1. एक अदद नजायज चापड़।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण ***

1. उ0नि0 दुर्गेश कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 अवधेश कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. हे0का0 कमलेश सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. का0 बबलू पासवान थाना कोपागंज जनपद मऊ।

ग्राम काझाखुर्द मे निर्माणकार्य के विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना, जिसमे गम्भीर रुप से घायल 01 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना, घटना मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल लकड़ी की लाठी बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 04.04.2026 को मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम काझा खुर्द मे दिनांक 26.03.2026 को निर्माण कार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर गम्भीर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके क्रम मे दिनांक 26.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2),131 बीएनएस व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट बनाम मनई आदि 14 नफर पंजीकृत किया गया। अस्पताल मे इलाज के दौरान मारपीट से गम्भीर रूप से घायल भरत पुत्र राजेन्द्र निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की दिनांक 01.04.2026 को मृत्यु हो गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विवेचना मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस बनाम आदि 12 नफर के विरूद्ध सम्पादित की गयी। वाछिंत अभियुक्तो की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम मे प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त राजनाथ पुत्र मनई निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को ग्राम पुलिस आफिस मोड़ तिराहे के पास से समय करीब 12.20 बजे दिनांक 04.04.2026 को अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2)/103(1) बीएनएस मे गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल लकड़ी की लाठी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. राजनाथ पुत्र मनई निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरी0 संजय सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. उ0नि0 केशर यादव
2. हे0का0 अकमल खॉ
3. का0 विशाल वर्मा
4. का0 सुनील विश्वकर्मा
5. का0 विपिन कुमार यादव

05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्त गुड्ड कुमार पुत्र जयप्रकाश राम निवासी नसोपुर, बरखू राजभर पुत्र स्व0 लोदी राजभर, बबलू राजभर पुत्र बरखू राजभर, लल्लन पाण्डेय पुत्र जमुना पाण्डेय निवासीगण डुमराव थाना

सरायलखन्सी जनपद मऊ व थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अमीरहसन पुत्र मो0 जाहिद निवासी मु0 लच्छीपुरा (नवीन पता हमीनपुर चट्टी)थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा तीन अदद नाजायज चाकू के साथ तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के निर्देशन व कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर मऊ के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व तलाश दबिश वांछित/वारण्टी करते हुए 03 नफर अभियुक्तो को मय 03 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो का विवरण:-

1. मोहम्मद खालिद पुत्र खलीकुर्रहमान सा0 बड़ी कम्हरिया अलीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मोहम्मद आसिफ पुत्र अकबर अली सा0 छित्तनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. शकील अहमद पुत्र शौकत अली सा0 क्यारी टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ हाल पता मदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

- बरामदगी का विवरण-

  उपरोक्त तीनो अभियुक्तो के कब्जे से एक एक अदद नाजायज चाकू बरामद

- गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :–

  1. उ0नि0 शहजाद जमां खां मय हमराह
  2. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह
  3. उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह

थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के खाते में ₹49,900 /- धनराशि वापस–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी पाण्डेय व थानाध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार जी के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायतकर्ता संख्या 33107250070981 आवेदक सुनील कुमार यादव निवासी साहपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ ने दिनांक 30/06/2025 को साइबर फ्रॉड द्वारा अपने खाते से अज्ञात

व्यक्ति द्वारा गूगल पे के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति ने फ्रॉड कर लिया था जिसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी जिसके तहत थाना हलधरपुर में नियुक्त साईबर टीम उपनिरीक्षक श्री अजय बरनवाल(नोडल अधिकारी), महिला उपनिरीक्षक रिया सिन्हा (सहायक नोडल अधिकारी) ,हेड ऑपरेटर नूपुर खरे ,आरक्षी हर्षिकेश कुमार आरक्षी मारुतेंद्र कुमार शुक्ल द्वारा तत्काल कार्रवाई करके पीड़ित सुनील कुमार यादव उपरोक्त हलधरपुर जनपद मऊ की फ्रॉड धनराशि में से राशि 49,900 होल्ड कराई गई थी जिसके तहत पीड़ित का संपूर्ण होल्ड धनराशि 49,900/- वापस कराया गया।